



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 708) पटना, शुक्रवार, 2 सितम्बर 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

2 सितम्बर 2016

सं0 एल0जी0-01-15/2016/173/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016**[बिहार अधिनियम 19, 2016]**

बिहार में निवेश के विकास एवं प्रोत्साहन को सहज बनाने तथा उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

चूँकि राज्य में उपलब्ध विपुल मात्रा में प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के उचित उपयोग कर नए उद्यमों की स्थापना से राज्य में रोजगार सृजन करने और राज्य की जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु बढ़ावा मिलेगा;

और, चूँकि, राज्य में उद्योग, सेवा और कारोबारी इकाईयों की स्थापना एवं परिचालन के लिए तथा राज्य को एक आकर्षक निवेश स्थल बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना आवश्यक है;

भारत-गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-I प्रारंभिक।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-(1) यह अधिनियम बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो;

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016;

(ख) "क्लियरेंस" से अभिप्रेत है अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवंटन, सहमति, स्वीकृति, अनुमति, पंजीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्ति एवं इस प्रकार किसी सक्षम प्राधिकार या प्राधिकारों, जो कि औद्योगिक उपक्रम बिहार राज्य में स्थापित किये जाने के लिए आवश्यक हो, द्वारा प्रदान किया जाना या निर्गत किया जाना एवं इसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने या परियोजना के प्रारंभ होने तक वैसे सभी क्लियरेंस, जो भी आवश्यक हों, शामिल होंगे;

(ग) "आयुक्त" से अभिप्रेत है औद्योगिक विकास आयुक्त के रूप में कार्य करनेवाला राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;

(घ) "सामान्य आवेदन पत्र" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन यथाविहित ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र, जो सभी प्रकार के क्लियरेंस हेतु व्यक्तिगत आवेदन प्रपत्रों को संयुक्त करता हो;

(ङ.) "कंपनी" से अभिप्रेत है निगमित निकाय और इसमें फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है;

(च) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्रेत है सरकार का कोई विभाग या एजेंसी जिसे क्लियरेंस देने या निर्गत करने का अधिकार और जिम्मेवारी सौंपी गयी हो, और इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगर पालिका, नगर निगम और विकास प्राधिकारों शामिल होगी;

(छ) "विभाग" से अभिप्रेत है सरकार का उद्योग विभाग;

(ज) "उद्यम" से वही अभिप्रेत है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 27) की धारा-2(ई) में है;

(झ) "प्रोत्साहन" से अभिप्रेत है नीति के अधीन, समय-समय पर, निवेशकर्ताओं को उपलब्ध की जाने वाली वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभ;

(ञ) "नीति" से अभिप्रेत है बिहार राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति;

(ट) "लोक प्राधिकार" से अभिप्रेत है विभिन्न अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकार और इस अधिनियम की धारा-2(ई) में परिभाषित सभी सक्षम प्राधिकार शामिल होंगे;

(ठ) "सचिवालय" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-5 के अधीन यथा गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का सचिवालय;

(ड) "राज्य पर्षद्" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-4 के अधीन यथा गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद्;

(ढ) "राज्य-सरकार" से अभिप्रेत है बिहार-सरकार;

(ण) "उद्योग आधार" से अभिप्रेत है औद्योगिक इकाईयों का ऐसा पंजीकरण जैसा कि भारत-सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर, अधिकथित किया गया हो।

अध्याय-II

औद्योगिक इकाईयों का पंजीकरण और राज्य प्रोत्साहन पर्षद् का गठन, कार्य और शक्तियाँ विकास आयुक्त और राज्य पर्षद् का सचिवालय।

3. औद्योगिक इकाईयों का पंजीकरण।- (1) किसी भी औद्योगिक इकाई का पंजीकरण उनको छोड़कर स्वैच्छिक होगा, जिन्हें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक विनिर्माण मर्दों के लिए अनुज्ञप्ति अनिवार्य है।

(2) यद्यपि, ऐसी इकाई जिन्हें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उपबंधित क्लियरेंस/सहायता की आवश्यकता हो, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 'सामान्य आवेदन प्रपत्र'(सीएएफ) दाखिल करेंगी।

(3) उत्पादन आरम्भ होने के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाई भी उद्योग आधार ज्ञापन ऑनलाइन दाखिल करेंगी।

4. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का गठन। - (1) विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का गठन किया जाएगा जिसमें उद्योग, वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण एवं वन, ऊर्जा, श्रम संसाधन, नगर विकास और आवास तथा राजस्व एवं भूमि सुधार के प्रधान सचिव सदस्य के रूप में होंगे। प्रधान सचिव, उद्योग विभाग पर्षद् के सदस्य-सचिव होंगे। राज्य सरकार इस पर्षद् में पाँच सदस्य नामित करेगी जिसमें दो सदस्य उद्योग के प्रतिनिधि होंगे।

(2) राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् के कार्य और शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी :-

- (क) राज्य निवेश पर्षद् के सचिवालय द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्ताव को इसके द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे या प्रस्ताव पर उचित निर्णय लिये जायेंगे;
- (ख) राज्य पर्षद् माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी;
- (ग) यह बिहार राज्य औद्योगिक निवेश नीति पर विभाग को मार्गदर्शन और सलाह देगी;
- (घ) राज्य पर्षद्, प्रत्येक बैठक में, निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य पर्षद् के सचिवालय के कार्य प्रगति की समीक्षा भी करेगी और निवेश प्रस्तावों पर तीव्र गति से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समुचित मार्गदर्शन देगी;
- (ङ.) यदि सक्षम प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन विहित उत्तरदायित्व का वहन नहीं किया गया है, तो राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सक्षम प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा करेगी;

5. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् के सचिवालय। - राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् के लिए एक सचिवालय होगा, जो पर्षद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों को, प्राप्त निवेश प्रस्तावों के जाँच एवं मूल्यांकन करने में, सहयोग करेगी। सचिवालय को प्राप्त निवेश-प्रस्तावों को, प्राप्ति तिथि के 30 (तीस) दिनों के भीतर राज्य पर्षद् के समक्ष रखना बाध्यकारी होगा। सचिवालय की संरचना, एवं प्रोत्साहन तथा निवेश, प्रोत्साहन एवं सरलीकरण, पारिश्रमिक एवं आनुषंगिक विषय वहीं होंगे, जो नियमावली में अधिकथित किये जायेंगे।

6. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् के सचिवालय का गठन। - (1) **औद्योगिक विकास आयुक्त।** - एक औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे जो सचिवालय के प्रधान होंगे। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ही साधारणतया औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।

(2) **गठन :-** राज्य पर्षद् के सचिवालय का गठन निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा :-

- (क) वित्त विभाग का संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
- (ख) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् का पर्यावरण अभियंता से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
- (ग) नगर विकास एवं आवास विभाग का नगर योजनाकार/वास्तुविद्/शहरी योजनाकार से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
- (घ) श्रम संसाधन विभाग का संयुक्त श्रमायुक्त से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
- (ङ.) वाणिज्य कर विभाग का उपायुक्त से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
- (च) बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लि० का अधीक्षण अभियंता से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
- (छ) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त होने वाला उप सचिव से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
- (ज) श्रम संसाधन विभाग का उप मुख्य कारखाना निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
- (झ) सचिवालय में राज्य सरकार द्वारा या तो प्रतिनियुक्त या संविदा पर नियुक्त होने वाले सचिवालय द्वारा यथापेक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी।

(3) **सचिवालय के कृत्य।** - सचिवालय के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

- (क) विद्यमान इकाईयों का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं विस्तारीकरण सहित सभी नए निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करना, प्रक्रिया करना तथा यथापेक्षित सभी क्लियरेंस देना;
- (ख) बिहार को देश के भीतर एवं बाहर निवेश स्थल के रूप में प्रचार की योजना तैयार करना, इसकी रूपरेखा बनाना एवं इसको बढ़ावा देना;
- (ग) सामान्य आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति एवं उसकी व्यवस्था करना और यह भी सुनिश्चित करना कि नियमावली के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर सभी क्लियरेंस दे दिए गए हैं;
- (घ) क्लियरेंस देने हेतु सक्षम प्राधिकार की ओर से विहित फीस संग्रह एवं जमा करना और संबंधित खाते में फीस एवं जमा अंतरित करना;
- (ङ.) आवेदकों को क्लियरेंस के संबंध में जानकारी देना और जहाँ आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो इन त्रुटियों की जानकारी आवेदक को देना और उनका सुधार करवाना;
- (च) निवेश संबंधी सेक्टर, उत्पाद एवं पैमाना पर सभी सुसंगत सांख्यिकी जानकारी संग्रह करना और संघ एवं राज्य प्राधिकारों को जब अपेक्षा हो उपलब्ध कराना;
- (छ) संभावित निवेशकर्ताओं के लिए सेक्टर एवं उत्पाद वार सूचना एकत्र करना और विभाग द्वारा यथानिदेशित वेबसाइट्स, प्रिंट और दृश्य माध्यम और अन्य उपायों से इसका प्रसार करना।

(4) सचिवालय के सदस्य आवेदनों की जाँच करेंगे और संबंधित क्लियरेंस के लिये ऑनलाइन अनुशंसा संबंधित सक्षम प्राधिकार को करेंगे। सम्बंधित सक्षम प्राधिकार ऐसी अनुशंसा-प्राप्ति के 30 दिनों या संबंधित अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाई गई नियमावली में विहित समय-सीमा के भीतर जिसके अधीन क्लियरेंस दिया जाना हो, निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। क्लियरेंस की सूचना ऑनलाइन नियत समय के भीतर सचिवालय को दी जायेगी जिसे निवेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि संबंधित विभाग क्लियरेंस देने में या निर्णय लेने में असफल रहता है तो क्लियरेंस दिया गया समझा जायेगा एवं राज्य पर्सद का सचिवालय इससे संबंधित डीमंड क्लियरेंस निर्गत करेगा। संबंधित सक्षम प्राधिकार उक्त क्लियरेंस जो सचिवालय द्वारा निर्गत किया गया है, का अनुपालन करेगा एवं इस सचिवालय के निर्णय पर पुनर्विचार करने की शक्ति सक्षम प्राधिकार को नहीं होगी।

जब भी निवेशक से सामान्य आवेदन प्रपत्र के माध्यम से क्लियरेंस के लिए अनुरोध प्राप्त होगा तब क्लियरेंस देने की उपर्युक्त रीति लागू होगी।

(5) आयुक्त को किसी भी लोक प्राधिकार के अन्वेषण या जाँच क्रियान्वित करने के लिए आदेश देने एवं विभिन्न अधिनियमों के अधीन समय-सीमा के भीतर क्लियरेंस संबंधी मुद्दों पर प्रतिवेदन मांग करने की शक्ति होगी। आयुक्त को किसी भी लोक प्राधिकार को, विहित समय-सीमा के भीतर, निर्णय लेने के लिये निदेश देने की शक्ति होगी।

7. योग्य इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन। - सचिवालय पात्र इकाईयों को, समय-समय पर, यथा अधिसूचित नीति के अनुरूप ससमय वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं विमुक्ति सुनिश्चित करेगी। निवेशक सभी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन के लिये सामान्य आवेदन पत्र में सचिवालय को आवेदन देंगे। सचिवालय, वित्तीय प्रोत्साहन के लिये प्राप्त आवेदन पर, कार्रवाई करेगा। स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार एवं स्वीकृति की समय-सीमा नियमावली में विहित की जायेगी।

अध्याय-III :

विविध।

8. स्व-प्रमाणन। - (1) आवेदक या अधिकृत व्यक्ति द्वारा क्लियरेंस हेतु आवेदन-पत्र एवं संबंधित दस्तावेजों का स्व-प्रमाणन किया जा सकेगा।

(2) स्व-प्रमाणन एवं जाँच के आधार पर क्लियरेंस निर्गत किया जाएगा और जहाँ आवश्यक हो, क्लियरेंस निर्गत करने के बाद, जाँच किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन प्रावधानों को इंगित भी कर सकेगी जिनके अधीन अनुपालन के लिये स्व-घोषणा पर्याप्त दस्तावेज समझा जायेगा।

(4) यदि सत्यापन होने पर यह पाया जाता है कि कोई भी स्व-प्रमाणन असत्य है, तो स्व-प्रमाणन के आधार पर निर्गत क्लियरेंस रद्द कर दिया जाएगा और असत्य स्व-प्रमाणन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा-197 के अधीन मिथ्या स्व-प्रमाणन के लिए अभियोजन का दायी होगा।

9. छूट। - राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी क्लियरेंस को अधिनियम के किसी प्रावधान का छूट दे सकेगी।

10. प्राधिकार देना। - राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सचिवालय को निवेश के लिये अपेक्षित क्लियरेंस देने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी।

11. शास्ति। - (1) कोई लोक प्राधिकार राज्य पर्सद एवं सचिवालय के निदेशों का अनुपालन विहित समय-सीमा के भीतर करने में विफल रहता है, दोषसिद्ध होने पर, ऐसी शास्ति से, जिसे पहले अपराध के लिये रु0 10,000/- (दस हजार) और द्वितीय या इसके बाद के अपराध के लिए रु0 50,000/- (पचास हजार) तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) जहाँ अधिनियम के अधीन किसी लोक प्राधिकार द्वारा अपराध किया गया हो वहाँ, यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने में प्राधिकार, पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों को समनुदेशित किए, बिना असफल हुआ है तो उस पर लागू सेवा नियमावली के अधीन उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की अनुशंसा कर सकेगा।

12. निवेशक का अधिकार। - इस अधिनियम की धारा-3(2) में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, प्रत्येक निवेशकर्ता अपने उद्यमों की स्थापना एवं प्रचालन आरंभ करने के लिए क्लियरेंस प्राप्त करने हेतु सुसंगत वैधानिक प्राधिकारों के समक्ष सीधे आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. एकीकृत क्लियरेंस प्रणाली। - क्लियरेंस एवं अनुमोदन देने के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी। सामान्य आवेदन प्रपत्र एवं इसके समर्थन में दिए जाने वाले दस्तावेजों को ऑनलाइन प्राप्त किया जायेगा एवं क्लियरेंस ऑनलाइन संसूचित किया जायेगा।

14. निदेश देने की शक्ति। - राज्य सरकार, समय-समय पर राज्य पर्सद, राज्य पर्सद सचिवालय, लोक प्राधिकार को नीति का ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के प्रायोजनार्थ आवश्यक एवं समिचीन हो जारी कर सकेगी और संबंधित पर्सद, सचिवालय और लोक प्राधिकार ऐसे निदेशों का पालन करने और उस पर कार्रवाई करने हेतु बाध्य होंगे।

15. सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। – इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाई गई किसी नियमावली के अधीन, सद्भाव पूर्वक किए गए अथवा किए जाने के आशय से किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति या प्राधिकार के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं होगी।

16. नियमावली बनाने की शक्ति। – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी अथवा किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित में से सभी अथवा किसी एक विषय के लिए, ऐसी नियमावली में प्रावधान किए जा सकेंगे।

- (क) राज्य पर्वद द्वारा प्रस्तावों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया;
- (ख) राज्य पर्वद सचिवालय की कार्य-प्रक्रिया और स्टाफ बल का अवधारण, भर्ती, पद्धति और सेवा-शर्तें जिसमें आयुक्त की अनुशासनिक और अपील्य शक्तियाँ भी शामिल हैं;
- (ग) सामान्य आवेदन प्रपत्र को दखिल करने का तरीका एवं प्रपत्र और राज्य पर्वद सचिवालय द्वारा इसकी प्रक्रिया;
- (घ) राज्य पर्वद सचिवालय की जिम्मेवारी और सेवा देने के लिए समय-सीमा;
- (ङ.) विभिन्न कानूनों के अधीन निरीक्षक एजेन्सियों द्वारा सत्यापन की अवधि एवं रीति तथा मिथ्या और अयथार्थ स्व-घोषणा के लिए अधिरोपित किए जाने वाले दंड की अवधि एवं रीति; और
- (च) ऑनलाईन अनुश्रवण प्रणाली और क्लियरेंस/अनुमोदन निर्गत करना।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियमों को राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

17. निरसन और व्यावृत्ति। –(1) बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेंस अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 9, 2006) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अधिनियम के अधीन किया गया या किए जाने के आशय से किया गया कुछ भी या की गई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गई मानी जाएगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन कोई कार्य किया गया था अथवा कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

2 सितम्बर 2016

सं० एल०जी०-01-15/2016/174/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2016 को अनुमत **बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016

[Bihar Act 19, 2016]

**AN
ACT**

To provide for facilitating the promotion and development of investment in Bihar and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas establishment of new enterprises by leveraging the abundant natural and human resources available in the state will lead to the generation of employment and improvement of the living standards of the people of the state;

AND Whereas, it is expedient to simplify the procedures for establishment and running of industrial, service and business units in the state in order to make the state an attractive investment destination;

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty Seventh Year of the Republic of India as follows:

Chapter I: Preliminary

1. *Short title, extent and commencement* .- (1) This Act may be called the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. *Definitions*. – In this Act, unless the context otherwise requires .-

(a) “Act” means the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016;

(b) “Clearance” means grant or issue of no-objection certificate, allotments, consents, approvals, permissions, registrations, enrollments, licenses and the like, by any competent authority or authorities in connection with the setting up of an industrial undertaking in the State of Bihar and shall include all such clearances required till the industrial undertaking starts commercial production;

(c) “Commissioner” means any person appointed by the State Government to act as Industrial Development Commissioner;

(d) “Common Application Form” means such electronic form as may be prescribed under the act which combines individual application forms for all clearances;

(e) “Company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals;

(f) “Competent authority” means any department or agency of the State Government, which is entrusted with the powers and responsibilities to grant or issue clearances, and shall include Gram Panchayats, Panchayat Samitis, Zila Parishads, Municipalities, Municipal Corporations and Development Authorities;

(g) “Department” means the Department of Industries of the Government of Bihar;

(h) “Enterprise” shall have the same meaning as in Section 2 (e) of The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 [No. 27 of 2006];

(i) “Incentive” means such financial and non-financial benefits provided to the investor from time to time under the Policy;

(j) “Policy” means the Bihar State Industrial Investment Promotion Policy

(k) “Public Authority” shall mean any office responsible for implementation of the various acts and it includes all Competent Authorities defined in section 2(e) of this Act;

(l) “Secretariat” means Secretariat of State Investment Promotion Board as defined under Section 5 of this Act;

(m) “State Board” means State Investment Promotion Board as defined under Section 4 of this Act;

(n) “State Government” means the State Government of Bihar ;

- (o) "Udyog Aadhar" means such registration of industrial units as are laid down by the Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises from time to time.

Chapter II

REGISTRATION OF INDUSTRIAL UNITS, AND CONSTITUTION, POWERS AND FUNCTIONS OF STATE INVESTMENT PROMOTION BOARD, INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMMISSIONER AND SECRETARIAT OF STATE INVESTMENT PROMOTION BOARD

3. *Registration of Industrial Units.*- (1) Registration of an industrial unit shall be voluntary, except for those industries manufacturing items which require an industrial license under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951.

(2) However, a unit which requires clearances/assistance provided by the Union and State Governments shall file the Common Application Form (CAF) in electronic form.

(3) The Micro, Small and Medium Enterprises unit shall also file the online Udyog Aadhar Memorandum after commencement of production.

4. *Constitution of State Investment Promotion Board.*

(1) There shall be State Investment Promotion Board under the Chairmanship of the Development Commissioner in which Principal Secretaries of Industries, Finance, Commercial Taxes, Forest and Environment, Energy, Labour Resources, Urban Development & Housing and Revenue & Land Reforms will be the members. Principal Secretary Industries shall be the member secretary of the Board. The State Government shall nominate five members to this Board two of which shall be representatives from the Industry.

(2) The following shall be the functions and powers of the State Investment Promotion Board.-

- (a) All proposals placed before it by the Secretariat of the State Board shall be approved or appropriate decisions shall be taken on the proposal;
- (b) The State Board shall meet at least once a month.
- (c) It shall guide and advise the Department on Bihar State Industrial Investment Policy.
- (d) State Board in each meeting shall also review the progress in the working of the Secretariat of the State Investment Promotion Board and shall give appropriate instructions to ensure speedy processing of investment proposals.
- (e) The state board shall recommend action against the competent authority if the competent authority has not carried the prescribed responsibility under this act.

5. *Secretariat of the State Investment Promotion Board.*- Secretariat of the State Investment Promotion Board shall be constituted, which shall assist the Chairman and the Board Members in examining and appraising the investment proposals received. The Secretariat shall be bound to place the investment proposal before the State Board within a period of 30 days from the date of receipt of such proposal. The composition of the Secretariat, its functions in regard to promotion and facilitation of investment, its remuneration and incidental matters shall be as laid down in the rules.

6. *Constitution of Secretariat of the State Investment Promotion Board.*

(1) **Industrial Development Commissioner:** There shall be an Industrial Development Commissioner who shall be the head of the Secretariat. Principal

Secretary, Department of Industries, Government of Bihar shall ordinarily be the Industrial Development Commissioner unless otherwise decided by the State Government.

(2) *Constitution:* The Secretariat of the State Board shall be constituted consisting of the following members:-

- (a) An officer of the Finance Department not below the rank of Joint Secretary,
- (b) An officer not below the rank of Environmental Engineer of the Bihar State Pollution Control Board,
- (c) An officer not below the rank of Town Planner/ Architect/ Urban Planner of the Urban Development and Housing Department
- (d) An officer not below the rank of Joint Labour Commissioner of the Labour Resources Department
- (e) An officer not below the rank of Deputy Commissioner of the Commercial Taxes Department
- (f) An officer not below the rank of Superintendent Engineer of the Bihar State Power Holding Corporation Limited
- (g) An officer not below the rank of Deputy Secretary to be deputed by Revenue and Land Reforms Department
- (h) An officer not below the rank of Deputy Chief Inspector of Factories of the Labour Resources Department
- (i) Such other officers and staffs as may be required by the Secretariat to be appointed either on deputation or contract by the State Government.

(3) *Functions of the Secretariat:* The following shall be the functions of the Secretariat :-

- (a) receive, process and make available all required clearance to all new investment proposals including modernization, upgradation and expansion of existing industrial units.
- (b) plan, design and implement campaigns to promote Bihar as investment destination within and outside the country;
- (c) arrange to receive and process Common Application Forms and ensure that all clearances are given within the time limits to be prescribed under rules;
- (d) collect prescribed fees and deposits on behalf of the competent authority for grant of clearance and transfer the fees and deposits to the respective accounts.
- (e) convey such clearances to the applicant and where there are deficiencies in the application, convey such deficiencies to the applicant and get these rectified;
- (f) collate and furnish statistical information on investment by sectors, product and scale, collect all relevant statistical information and provide to Union and state authorities as and when required; and
- (g) prepare sector and product wise information for prospective investors and disseminate through web sites, print and visual media and other means as may be directed by the Department.

(4) The members of the Secretariat shall examine and recommend for clearance to the respective competent authority online. The respective competent authority shall be bound to take a decision within 30 days of receipt of such recommendation or within a time limit prescribed by the concerned acts or rules

under which the clearance is being granted. The clearance shall be communicated to the secretariat online within the stipulated time which shall be made available to the investor. In case the concerned department fails to grant clearance or take a decision, the clearance would be deemed to have been granted and the Secretariat shall issue a clearance in this regard. The concerned competent authority shall comply with the clearances issued by the Secretariat and shall not have any powers to review the decision of the Secretariat.

The above mode of giving clearance shall be applicable as and when a request for clearance will be received from the investor through a common application form.

(5) The Commissioner shall have powers to direct a public authority to carry out investigation, enquiry and seek a report on issues related to clearance under the various acts required for investment proposals within a specified time limit. The Commissioner shall have powers to give directions to public authority to take decisions within a prescribed time limit.

7. *Financial Incentives to eligible industrial units.*- The Secretariat shall ensure the timely sanction and disbursement of financial incentives to eligible industrial units in terms of the Policy as notified from time to time. The investors shall apply for all financial incentives through the Common Application Form to the Secretariat. The Secretariat shall process the application for financial incentives. The competent authority for sanction and the timeframe within which it shall be sanctioned shall be prescribed in rules.

Chapter III: MISCELLANEOUS

8. *Self-certification.*- (1) Application for clearances and any accompanying document may be self-certified by the applicant or authorized person.

(2) Clearances will be issued on the basis of self-certification, and verification, where necessary, shall be conducted after the issue of such clearances.

(3) The State Government may also by a notification indicate those provisions under which where self-declaration shall be deemed to be a sufficient document for compliance.

(4) If on verification, the self-certification is found to be incorrect, clearances issued on the basis of such self-certification shall be cancelled and the person/s responsible for false self-certification shall be liable for prosecution under Section 197 of the Indian Penal Code.

9. *Exemption .-* The State Government may, by a notification exempt any clearance from any of the provision of the Act.

10. *Authorisation.*- The State Government may, by a notification authorise the secretariat for grant of any clearance required for investment.

11. *Penalty.*- (1) Any public authority who fails to comply with the directions of the State Board and the Secretariat within the prescribed time shall on conviction be punishable with a fine which may extend to ten thousand rupees for the first offence and for second or the subsequent offence may extend to fifty thousand rupees.

(2) Where an offence under this Act is committed by a Public Authority, if the Commissioner is satisfied that the authority has failed to discharge the duties assigned to him under this Act, without assigning sufficient and reasonable cause, may recommend action against him under the service rules applicable to him.

12. *Rights of the Investor.*- Notwithstanding anything contained in section 3(2) of this act, every investor is free to apply directly to the relevant Statutory Authority for obtaining necessary clearances for establishing and commencing operation of their enterprises.

13. *Integrated clearance system.*- An online system of giving clearance and approval shall be developed. The Common Application Form and the supporting documents shall be received online and the clearance shall be communicated online.

14. *Power to give directions.*- The State Government may, from time to time, issue to the State Board, Secretariat and Public Authority such general or special directions related to the policy which is not inconsistent with the provisions of this act and is necessary or expedient for the purpose of carrying out the objects of this Act and the concerned Board, Secretariat and Public Authority shall be bound to follow and act upon such directions.

15. *Protection of action taken in good faith.*- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or any rules made there under.

16. *Power to make rules .-* (1) The State Government may by notification make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, provisions may be prescribed in such rules for all or any of the following matters, namely:

- (a) the process for approving investment proposals by the State Board;
- (b) the process of working of the Secretariat and the determination of staff strength, method of recruitment and service conditions including disciplinary and appeal powers of the commissioner;
- (c) the form and mode of filing of the Common Application Form and its processing by the Secretariat;
- (d) the responsibilities of the Secretariat and the time frame for delivery of services;
- (e) the manner and periodicity of verification by inspecting agencies under various Statutes and the penalties to be imposed for false and inaccurate self-declaration; and
- (f) online monitoring system and issue of clearances/approvals.

(3) Every rule made under this Act shall be laid before the State Legislature by the State Government.

17. *Repeal and Saving.*- (1) The Bihar Single Window Clearance Act, 2006 (Bihar Act 9 of 2006) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have done or taken under the said Act shall, be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act was in force on such day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 708-571+400-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>